भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †4427

दिनांक 28.03.2023 को उत्तरार्थ

पंचायत स्तर पर सामाजिक न्याय और समानता

†4427. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा:
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:
श्री देवजी पटेल:
श्री दिलीप शइकीया:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पंचायत स्तर पर सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा पूर्वोत्तर राज्यों में पंचायतों के सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं, निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) देश की ग्रामीण आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय पंचायत इकाई को दिए गए अधिकारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) भारत के संविधान के भाग-IX के प्रावधान समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 243घ राज्यों को उनके संबंधित राज्य पंचायत कानूनों में इन श्रेणियों के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य करके पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। इसके अलावा, राज्यों को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में किसी भी पंचायत में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने का अधिकार दिया

गया है। पंचायतों के विकास के लिए निर्णय लेने और योजना तैयार करने में संविधान का अनुच्छेद 243छ राज्यों को नागरिकों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग की आरक्षित श्रेणी से चुने गए व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।

(ख) कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देश में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय (i) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना, पीआरआई का क्षमता निर्माण और निर्वाचित प्रतिनिधियों और पीआरआई के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के माध्यम से पीआरआई को मजबूत करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, (ii) पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण (IoP) पंचायती राज संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक है, जिसके तहत सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए अपने अच्छे काम की मान्यता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार दिए जाते हैं, (iii) ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना, आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक जिसके तहत पीआरआई के समग्र परिवर्तन के लिए पीआरआई के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को पंचायतों के डिजिटलीकरण के लिए वित्तपोषण को लागू कर रहा है।

(ग) संविधान का अनुच्छेद 243छ राज्यों को पंचायतों को शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए सक्षम बनाता है ताकि वे स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों/ विषयों सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार कर कार्यान्वित कर सकें।

***